"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 363]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016— आश्विन 1, शक 1938

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक/163/एफ 14-15/2015/रास/यू.-8 (पार्ट). — बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22, सन् 1973) की धारा 52 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक 8514/61/2015/38-2, दिनांक 21 सितम्बर, 2016, जारी की है और जो दिनांक 21 सितम्बर, 2016 से प्रभावशील है, अतः मैं, बलरामजी दास टंडन, कुलाधिपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन के परामर्श से प्रोफेसर एन. डी. आर. चन्द्रा को बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के आदेश देता हूं.

No. 163/F 14-15/2015/RS/U.-8 (Part). — Whereas the Government of Chhattisgarh, Department of Higher Education have issued a notification No. 8514/61/2015/38-2, dated 21st September, 2016 with regard to Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur under Section 52 (1) of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), effective from 21st September 2016, now therefore, I, Balramji Dass Tandon,Kuladhipati, Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur in exercise of powers conferred under modified Section 13 and 14 read with Section 52 (3) of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973, and in consultation with the State Government, order to remove Professor N. D. R. Chandra from the office of Kulapati of Bastar Vishwavidyalaya, Jagdalpur with immediate effect.

हस्ता./-

(बलरामजी दास टंडन)
कुलाधिपति,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.